



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)**

राजस्व वाद संख्या-1/2016

दायर दिनांक:-14.1.2016

**पीठासीन अधिकारी-श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.**

1. बिशनलाल पुत्र हीरा जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील- किशनगढ़ जिला अजमेर।

-वादी

- बनाम**
1. कालू पुत्र हीरा
  2. किशन पुत्र हीरा
  3. किशानी पुत्री हीरा (फौत)
    - 3.1 पप्पू पुत्र हीरा निवासी काली डुंगरी तह0 किशनगढ़
    - 3.2 करतार पुत्र हीरा निवासी काली डुंगरी, तह0 किशनगढ़
    - 3.3 दशरथ पुत्र हीरा निवासी काली डुंगरी, तह0 किशनगढ़
  4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधि0 1955  
निर्णय

.....प्रतिवादीगण

दिनांक 29.3.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम काकनियावास तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर अवस्थित ख0न0 312 रकबा 6 बिस्वा , ख0न0 313 रकबा 10 बिस्वा , ख0न0 314 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 , कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि है। वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में संवत् 2010 से 2012 में 1/2 हिस्सा वादी के पिता हीरा व 1/2 हिस्सा जवारा वल्द श्योराम जाट का था। कालान्तर में हीरा ने जवारा जाट का 1/2 हिस्सा अर्जित कर लिया इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि के एकमात्र स्वामी आधिपत्यधारी खातेदार वादी के पिता स्व0 हीरा हो गये। स्व0 हीरा की संतानों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं वादी 1.1999 के पूर्व दिनांक 21.12.1998 को एक वसीयत अपनी चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सक्षम गवाहों के समक्ष वैद्य रूप से निष्पादित की। स्व0 हीरा ने चूंकि अपनी अन्य संतानों को नकद राशि, जेवर, सोना, चांदी, मकान आदि दे दिया था इसलिये अपनी वसीयत दिनांक 21.12.1998 के जरिये अन्य सम्पत्ति के साथ वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि वादी को दे दी। वादी वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण भूमि पर स्व0 हीरा की वसीयत दिनांक 21.12.1998 के उनकी मृत्यु दिनांक 6.1.1999 को प्रभावी हो जाने के कारण एकमात्र एवं पूर्ण स्वामी, आधिपत्यधारी बन गया। वादी ने नायब तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष वाद पत्र की वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदार के रूप वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया किन्तु तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री तेजमल चूकि वे वादी के भाई के रिश्ते में साले लगते हैं इसलिये नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ ने विधि विरुद्ध रूप से दिनांक 21.2.2012 को वादग्रस्त आराजी जो वर्षों से वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज है उनकी वसीयत दिनांक 22.12.1998 के प्रभावी होने के बावजूद नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी के नाम 1/4-1/4 हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये। नायब तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने प्रश्नगत निर्णय में जवारा वल्द श्योराम की वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की वव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य 1/4-1/4 हिस्से अनुसार अंकित करने के जो आदेश पारित किये गये वे विधि विरुद्ध है। राजस्व अधिकारी ने स्व0 हीरा की वसीयत दिनांक 22.12.1998 को अपंजीकृत होने के आधार पर वैद्य न मानकर विधिक भूल की। राजस्व अधिकारी ने इस विधिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया कि वसीयत का पंजीयन आवश्यक नहीं है। वह मात्र सादा कागज पर ही अगर विधि अनुसार निष्पादित है तो उसे वैद्य माना जावेगा। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 4 के अधीनस्थ कर्मचारी ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया इसलिये वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी स्व0 हीरा की वसीयत दिनांक 21.12.1998 के आधार पर वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के स्वामी , आधिपत्यधारी, खातेदारी काश्तकारी घोषित होने योग्य है।

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा रिमाण्ड कर भिजवाया कि वाद में आवश्यक तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु निर्देशित किया गया। इन निर्देशों की पालना में उभयपक्ष को सूचना हेतु नोटिस जारी किये गये। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने से नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ। वकील वादी की ओर प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान के नोटिस भी तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। प्रकरण में बिशनलाल पुत्र हीरा जाति जाट निवासी सांवतसर व नानगराम जाति गुर्जर निवासी सांवतसर द्वारा पेश शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 रीतिरिवाज पर संबंधित के बयान लिये गये। वादी की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गयी।



**उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)**

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है-  
1. आया वसीयत अपंजीकृत होने से मान्य नहीं है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

- निर्णय - चूंकि वसीयत के गवाह भंवरलाल पुत्र नानगराम जाति गुर्जर द्वारा शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पर दिये गये अपने बयानों में वसीयत को उनकी उपस्थिति में नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया जाना जाहिर किया है और वसीयत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है इस कारण उक्त तनकीयात वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।
2. आया वादी ग्राम काकनियावास तहसील रूपनगढ़ में स्थित वादपत्र के चरण 1 में उल्लेखित ख0न0 312 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 313 रकबा 10 बिस्वा व ख0न0 314 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

.....जिम्मे वादी

निर्णय- चूंकि वसीयत के गवाह भंवरलाल पुत्र नानगराम जाति गुर्जर ने वसीयत को उनके सामने संपादित होना कबूल किया है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति का अधिकारी है

.....जिम्मे वादी

निर्णय- चूंकि तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया वसीयत दिनांक 21.12.1998 कूटरचित है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

निर्णय- चूंकि प्रतिवादी ने वसीयत कूटरचित होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य/गवाह पेश नहीं किये हैं। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5. आया वादी का वाद नायब तहसीलदार रूपनगढ़ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.2.2012 के अनुसरण में खारिज किये जाने योग्य है।

.....जिम्मे प्रतिवादी

निर्णय - चूंकि प्रतिवादी ने उक्त निर्णय को खारिज किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

चूंकि समस्त तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को तहसीलदार रूपनगढ़ को इन निर्देशों के साथ रिमांड किया जाता है कि वे ग्राम काकनियावास के ख0न0 312 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 313 रकबा 10 बिस्वा व ख0न0 314 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि में वसीयत एवं अन्य विन्दुओं पर विधिवत सुनवाई कर राज0भू-राजस्व अधि0 1956 की धारा 135 (2) के तहत जायज वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

.....  
नायब अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)  
रूपनगढ़ (अजमेर)

